रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

(132)

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 1991/फाल्गुन 16, 1912
No. 92] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 1991/PHALGUNA 16, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1991

सा.का.नि. 127 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तभ 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का अनुसूची के स्तंभ 2 के सत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य में यथाप्रवृत्त रूप में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है :—

अनुसूची

अधिनियमिति	निबन्धन और उपान्तर
(1)	(2)
1. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम सं. 28)	हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के आरंभिक पैरा में "हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

2. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20)

1. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 1979 का उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) आरंभिक पैरा में 'हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971' शब्द और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंक रखे जाएंगे; और

(ii) धारा 7क में जो कि मूल अधिनियम में अंतः स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट की गई थी, शीर्ष और पाठ दोनों में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

2. 1979 के उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित करने के लिए निर्दिष्ट की गई धारा 72 में,—

(i) शीर्ष में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "रखेगी" शब्द के स्थान पर "रखेगा" शब्द रखा जाएगा; और

(ग) "सकती है" शब्द जहां जहां वे आते हैं उनके स्थान पर "सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

(क) (iii) उपधारा (2) में

खंड (ख) में और उस खंड के परन्तुक में 'प्रशासक" शब्द के स्थान पर शब्द "विशेष अधिकारी" और "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा; और

(ख) खंड (ग) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

3. 1979 के उक्त अधिनियम की धारा 4 का लोप किया जाएगा।

3. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का हरियाणा अधिनियम सं. 27)

1. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1980 का उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 2 के आरंभिक पैरा में "हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. 1980 के उक्त अधिनियम में सभी स्थानों पर "मुख्य प्रशासक" शब्द जहां-जहां वे आते हैं उनके स्थान पर "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द और "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

3. 1980 के उक्त अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (4) जो कि मूल अधिनियम में प्रतिस्थापन के लिए निर्दिष्ट की गई थी, के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) बोर्ड में प्रशासक द्वारा नियुक्त किए गए एक अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सात अन्य सदस्य होंगे।" और परन्तुक का लोप किया जाएगा।

4. 1980 के उक्त अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा।

4. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का हरियाणा अधिनियम सं. 10)	1. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 में,— (i) आरंभिक पैरा में, "हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंक रखे जाएंगे; (ii) मूल अधिनियम में अन्तःस्थापित करने के लिए निर्दिष्ट की गई धारा 72-ख में,— (क) "सरकार" शब्द जहां-जहां भी आता है उसके स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा; और (ख) "मुख्य प्रशासक" शब्दों के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे। (ग) शब्द "सकती है" जहां जहां वे आते हैं उनके स्थान पर "सकता है" शब्द रखे जाएंगे।
5. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का हरियाणा अधिनियम सं. 10)	1. हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 1989 का उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— (i) आरंभिक पैरा में "हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971" शब्द और अंक रखे जाएंगे; और (ii) मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए निर्दिष्ट धारा 11 की उपधारा (2) के परन्तुक में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा। 2. 1989 के उक्त अधिनियम की धारा 3 में,— (i) आरंभिक पैरा में, "रख दिए जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "रखा जाएगा" शब्द रखे जाएंगे; (ii) पहले परन्तुक में जो कि मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा; और (3) दूसरा परन्तुक जो कि मूल अधिनियम में जोड़े जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था, का लोप किया जाएगा। 3. 1989 के उक्त अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 का लोप किया जाएगा।

[सं. यू.-11015/4/89-यू टी एल]

एस. दत्ता, संयुक्त सचिव

उपाबन्ध-1

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम सं. 28)

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जा सकता है।

1971 के हरियाणा अधिनियम 20 में धारा 72क का अन्तःस्थापन ।

2. चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 72 के बाद निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"72क अपील—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अभिव्यक्त रूप से यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन बोर्ड के किसी अधिकारी या अध्यक्ष के मूल या अपीली आदेश के विरुद्ध कोई अपील निम्नलिखित को हो सकेगी—

(क) अध्यक्ष को, जब आदेश, बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो ।

(ख) बोर्ड को, जब आदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया हो ।

(2) ऐसे प्रत्येक अपील आदेश के सूचित किए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर की जा सकेगी :

परन्तु अध्यक्ष या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि यह समझा जाए कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने के पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित था ।"

उपाबंध-2

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित

हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1979

(1979 का हरियाणा अधिनियम सं. 20)

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम :

1. यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जा सकेगा ।

1971 हरियाणा अधिनियम 20 में धारा 7 क का अन्तःस्थापन ।

2. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी और सदैव अन्तःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"7क-अध्यक्ष तथा सदस्यों का प्रशासक के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करना—इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 7 या किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य प्रशासक के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे ।"

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 72 का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 72 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, और सदैव रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"72. बोर्ड पर प्रशासक का नियंत्रण :—(1) प्रशासक बोर्ड और उसके अधिकारियों पर अधीक्षण तथा नियंत्रण रखेगा और यह ऐसी जानकारी मंगा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, और उसके इस बात के लिए संतुष्ट हो जाने पर कि बोर्ड उचित रूप में कार्य नहीं कर रहा है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या भ्रष्टाचार या कुव्यवस्था का दोषी है, वह अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को निलंबित कर सकता है ।

परन्तु बोर्ड को, उसके निलंबन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, विहित रीति में पुनर्गठित किया जाएगा ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को निलंबित कर दिया जाता है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) बोर्ड तथा उसकी समितियों के सभी सदस्य, जिनमें बोर्ड का अध्यक्ष शामिल है, अधिसूचना की तिथि से, अपने पद रिक्त कर देंगे ।

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कर्तव्य तथा कृत्य, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा या बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, निलंबन की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा (जिसे विशेष अधिकारी कहा जाएगा) जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएगी तथा पालन किए जाएंगे;

परन्तु विशेष अधिकारी प्रशासक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपनी किन्हीं शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों को ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे;

(ग) बोर्ड में निहित सभी संपत्तियां, जिनमें बोर्ड-निधि शामिल है, उसके पुनर्गठित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।"

4. लोप किया गया ।

उपाबंध–3

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के यथाविस्तारित

हरियाणा आवास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1980

(1980 का हरियाणा अधिनियम सं. 27)

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कतीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम :

1. यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जा सकता है :—

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 2 का संशोधन ।

2. चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,—

(क) खंड (च) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(चच)" मुख्य कार्यपालक अधिकारी "से अभिप्रेत है, बोर्ड का मुख्य प्रशासक";

(ख) खंड (ट) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष" तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी", शब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) बोर्ड में प्रशासक द्वारा नियुक्त किए गए एक अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सात अन्य सदस्य होंगे ।"

(ख) उपधारा (5) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति की छुट्टी प्रशासक समय-समय पर अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, ऐसी छुट्टी दे सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो और कोई व्यक्ति जिसे छुट्टी पर ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्य करने के लिए, प्रशासक नियुक्त करती है, जहां वह ऐसे कार्य कर रहा हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी समझा जाएगा ।"

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 7क का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7क में तथा उसके उपान्तिक शीर्ष में "अध्यक्ष तथा सदस्यों" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य सदस्यों" शब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) में, दो बार आने वाले, "अध्यक्ष अथवा सदस्य" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "अध्यक्ष या कोई सदस्य" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कोई अन्य सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 9 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

IndiaCode

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में, "अध्यक्ष" शब्द स्थान पर "अध्यक्ष, तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 18 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

10. लोप किया जाएगा ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 60 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (4) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 की धारा 66 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 66 में, दो बार आने वाले "अध्यक्ष" शब्द स्थान पर, "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 में धारा 68-क का अन्तःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 68 बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"68क. प्रत्यायोजन—बोर्ड, संकल्प द्वारा प्राधिकृत कर सकता है कि इस अधिनियम या इस के अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति, विनियम बनाने की शक्ति के सिवाए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है ।"

Indiacode

उपाबंध—4

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित

हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का हरियाणा अधिनियम सं. 10)

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971, को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम :

1. यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जा सकता है ।

1971 के हरियाणा अधिनियम, 20 में धारा 72कख का अन्तःस्थापन ।

2. चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 72क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"72ख. पुनरीक्षण :—प्रशासक या तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार के आवेदन पर, बोर्ड, बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों अथवा किए गए निश्चय अथवा आदेश के अभिलेख को किए गए किसी निश्चय या आदेश की वैधता अथवा औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकता है तथा परीक्षण कर सकता है तथा यदि किसी मामले में प्रशासक को यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई निश्चय अथवा आदेश उपांतरित, निष्प्रभाव अथवा पुनरीक्षित किया जाना चाहिए तो प्रशासक उससे प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसे आदेश कर सकता है जो वह उचित समझे ।"

उपाबंध—5

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित

हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का हरियाणा अधिनियम सं. 10)

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम :

1. यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1989, कहा जा सकता है।

1971 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 11 का संशोधन।

2. चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 11 की उपधारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु इस प्रयोजन के लिए ऐसे पदों के प्रवर्गों के बारे में, जो प्रशासक द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें, प्रशासक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।"।

1971 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 39 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य की भूमि के क्रय या विनिमय की अथवा पांच वर्ष से अधिक के पट्टे की दशा में प्रशासक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1971 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 52 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 52 में,—

(क) उपान्तिक शीर्ष में, "किराये", शब्द के स्थान पर, "किराए, कर्जे" शब्द रख दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) "बोर्ड के किसी परिसर के बारे में संदेय किराये" शब्दों के पश्चात अथवा बोर्ड द्वारा गृह के सन्निर्माण, पुनः सन्निर्माण या मरम्मत के लिये दिये गये किसी कर्जे के बारे में संदेय किश्तों के बकाया" शब्द रख दिये जायेंगे;

(ii) "किराए का बकाया" शब्दों के पश्चात् "या कर्जे की किश्तों का बकाया" शब्द रख दिये जायेंगे।

5. लोप किया गया।

6. लोप किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1991

G.S.R. 127(E):—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hreby extends to the Union territory of Chandigarh, the enactments specified in column (1) of the Schedule hereto annexed, as in force inthe State of Haryana at the date of this notification, subject to the restrictions and modifications specified in the corresponding entires in column (2) of the Schedule:-

SCHEDULE

ENACTMENTS	RESTRICTIONS AND MODIFICATIONS
(1)	(2)
1. Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1976 (Haryana Act No. 28 of 1976)	In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1976, in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.
2. The Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1979 (Haryana Act No. 20 of 1979).	1. In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act 1979 (hereinafter referred to as the said Act of1979):— (i) in the opening paragraph, for the words snd figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted; and (ii) in section 7A which was directed to be inserted in the principal Act, for the words "State Government", both in the heading and in the text, the word "Administrator" shall be substituted. 2. In section 3 of the said Act of 1979, in section 72 which was directed to be substituted in the principal Act, (i) in the heading, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted; (ii) in sub-section (1),— (a) for the words "State Government" the word 'Administrator" shall be substituted; (b) for the words "it may", wherever they occur, the words "he may" shall be substituted; and (c) for the words "its being", the words "his being" shall be substituted; (iii) in sub-section (2), – (a) in clause (b) and in the proviso to that clause, for the word "administrator", the words "special officer" and for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted; and

1	2
	(b) in clause (c) for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.
	3. Section 4 of the said Act of 1979 shall be omitted.
3. The Haryana Housing Board (Amendmen.) Act, 1980 (Haryana Act 27 of 1980).	1. In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1980 (Hereinafter referred to as the said Act of 1980), in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.
	2. Throughout the said Act of 1980, for the words "Chief Administrator" wherever they occur, the words "Chief Executive Officer" and for the words "State Government" the word "Administrator" shall be substituted.
	3. In section 3 of the said Act of 1980, in sub-section (4) whic was directed to be substituted in the principal Act—
	(i) for the words "and such other members not more than twelve and not less than six as the State Government may from time to time, by notification, appoint, the words "and seven other members appointed by the Administrator" shall be substituted; and
	(ii) the proviso shall be omitted.
	4. Section 10 of the said Act of 1980 shall be omitted.
4. The Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1986 (Haryana Act 10 of 1986).	In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1986—
	(i) in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971' the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted:
	(ii) in section 72B which was directed to be inserted in the Principal Act,—
	(a) for the word "Government" wherever it occurs, the word "Administrator shall be substituted;
	(b) for the words "Chief Administrator", the words "Chief Executive Officer" shall be substituted;
	(c) for the word "itself", the word "himself" shall be substituted; and
	(d) for the words "it may deem fit", the words "he may deem fit" shall be substituted.

5. The Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1989 (Haryana Act No. 10 of 1989).	1. In section 2 of the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1989 (hereinafter referred to as the said Act of 1989),— (i) in the opening paragraph, for the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971", the words and figures "the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted: and (ii) in the proviso which was directed to be substituted in the principal Act,— (a) for the words "State Government" the word "Administrator" shall be substituted; and (b) for the words "by it", the words "by him" shall be substituted. 2. in section 3 of the said Act, of 1989.— (i) in opening paragraph, for the words "following provisos" the words "following proviso" shall be substituted; (ii) in the first proviso which was directed to be substituted in the prinoipal Act for the words "State Government", the words "Administrator" shall be substituted; and (iii) the second proviso which was directed to be added in the principal Act, thall be omitted. 3. Section 5 and section 6 of the said Act of 1989 shall be omitted.

[No. U-11015/4/89—UTL]
S. DUTTA, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1976 (HARYANA ACT No. 28 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twnety-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1976.

Insertion of seotion 72-A in Haryana Act 20 of 1971.

2. After section 72 of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh, the following section shall be inserted, namely:-

"72-A. Appeal.—(1) Save as otherwise expressly provided in any other provision of this Act, an appeal shall lie from an original or appellate order of any officer of the Board

or the Chairman under this Act or any rule or regulation made thereunder—

(a) to the Chairman when the order is made by any officer of the Board;

(b) to the Board when the order is made by the Chairman.

(2) Every such appeal shall be preferred within a period of thirty days of the date of communication of the order:

Provided that the Chairman or the Board, as the case may be, may entertain the appeal after the expiry of the period of thirty days if it is considered that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time."

ANNEXURE-II

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1979 (HARYANA ACT No. 20 of 1979) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1979.

2. After section 7 of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be inserted and shall always be deemed to be have been inserted, namely:-

"7A. Chairman and members to hold office during pleasure of Administrator.—Notwithstanding anything contained in section 3 or section 7 or any other provision of this Act, the Chairman and members of the Board shall hold office during the pleasure of the Administrator."

Substitution of section 72 of Haryana Act 20 of 1971.

3. For section 72 of the principal Act, the following section shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely:-

"72. Control of Administrator over Board.—

(1) The Administrator shall exercise superintendence and control over the Board and its officers and may call for such information as he may deem necessary and, in the event of his being satisfied that the Board is not functioning properly or is abusing its powers or is guilty

of corruption or mismanagement, he may, by notification, suspend the Board:-

Provided that the Board shall be reconstituted, within a period of one year from the date of its suspension, in the prescribed manner.

(2) When the Board is suspended under sub-section (1), the following consequences shall ensue, namely:-

(a) all members of the Board and its committees, including the Chairman of the Board, shall, from the date of the notification, vacate their offices;

(b) all powers, duties and functions, which under the provisions of this Act or any regulation made thereunder, are to be exercised by the Board or any committee thereof or by the Chairman of the Board, or by any other officer of the Board, shall, during the period of suspension, be exercised and performed by such person (to be called the special officer) as may be appointed by the Administrator in this behalf:

Provided that the special officer may, subject to the approval of the Administrator, delegate any of his powers, duties, or functions to such other person as he may think fit;

(c) all properties, including the Board Fund vested in the Board shall, until it is reconstituted., vest in the Central Government".

4. Omitted.

ANNEXURE-III

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1980
(HARYANA ACT NO. 27 OF 1980) AS EXTENDED
TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH
AN
ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1980.

Amendment of section 2 of Haryana Act 20 of 1971.

2. In section 2 of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act),—

(a) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ff) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Board"

(b) in clause (k), for the word "Chairman", the words "Chairman and the Chief Executive Officer" shall be substituted.

Amendment of section 3 of Haryana Act 20 of 1971.

3. In section 3 of the principal Act,—

(a) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namly:-

"(4) The Board shall consist of a Chairman, a Chief Executive Officer and seven other members appointed by the Administrator;"

(b) in sub-section (5) for the word "Chairman", the words "Chairman, the Chief Executive Officer" shall be substituted.

Amendment of section 5 of Haryana Act 20 of 1971.

4. For section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted namely:-

"5. Leave of absence of Chairman and Chief Executive Officer.—The Administrator may, from time to time, grant to the Chairman and the Chief Executive Officer such leave as may be admissible under the rules made under this Act and any person whom the Administrator appoints to at for the Chairman or the Chief Executive Officer during such absence on leave shall, while so acting, be deemed, for all purposes of this Act, to be the Chairman or the Chief Executive Officer, as the case may be".

Amendment of section 7A of Haryana Act 20 of 1971.

5. In section 7-A of the principal Act and the marginal heading thereto, for the words "Chairman and members", the words "Chairman, Chief Executive Officer and other members" shall be substituted.

Amendment of section 8 of Haryana Act 20 of 1971.

6. In section 8 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "Chairman or member" occurring twice, the words "Chairman, Chief Executive Officer or other member" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "Chairman or any member" the words "Chairman, a Chief Executive Officer or any other member" shall be substitited.

Amendment of section 9 of Haryana Act 20 of 1971.

7. In section 9 of the principal Act, for the word "Chairman" the words "Chairman, a Chief Executive Officer" shall be substituted.

Amendment of section 10 of Haryana Act 20 of 1971.

8. In section 10 of the principal Act, for the word "Chairman" the words "Chairman and the Chief Executive Officer" shall be substituted.

Amendment of section 18 of Haryana Act 20 of 1971.

9. In sub-section (1) of section 18 of the principal Act, for the words "the Chairman", the words "the Chief Executive Officer" shall be substituted.

10. Omitted

Amendment of section 60 of Haryana Act 20 of 1971.

11. In sub-section (4) of section 60 of the principal Act, for the word "Chairman", the words "Chief Executive Officer" shall be substituted.

Amendment of section 66 of Haryana Act 20 of 1971.

12. In section 66 of the principal Act, for the word "Chairman" occurring twice, the words "Chief Executive Officer" shall be substituted.

Insertion of section 68-A in Haryana Act 20 of 1971.

13. After section 68 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:–

"68A. Delegation.—The Board may, by resolution, authorise that any power exercisable by it under this Act or the rules or regulations made thereunder, except the power to make regulations, may also be exercised by the Chief Executive Officer."

ANNEXURE IV

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1986

(Haryana Act No. 10 of 1986) AS EXTENDED

TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 1986.

Insertion of section 72B in Haryana Act 20 of 1971.

2. After section 72A of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh, the following section shall be inserted, namely:–

"72B. Revision.—The Administrator may either suo moto or on an application of a party, call for and examine the record of any proceedings or decision or order passed by the Board, Chairman, Chief Executive Officer or Officer of the Board for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed and if in any case it shall appear to the Administrator that any such decision or order should be modified, annulled or revised, the Administrator may, after giving the persons affected thereby an opportunity of being heard, pass such order thereon as it may deem fit.",

ANNEXURE V

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 1989 (Haryana Act No. 10 of 1989) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

AN

ACT

to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:–

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment Act, 1989.

Amendment of section 11 of Haryana Act 20 of 1971.

2. For the proviso to sub-section (2) of section 11 of the Haryana Housing Board Act, 1971 as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter called the principal Act), the following proviso shall be substituted, namely:–

"Provided that the previous sanction of the Administrator shall be obtained for this purpose, in respect of such categories of posts as may be specified by him from time to time, by notification.".

Amendment of section 39 of Haryana Act 20 of 1971.

3. For the proviso to sub-section (1) of section 39 of the principal Act, the following proviso shall be substituted namely:–

"Provided that the previous approval of the Administrator shall be obtained in case of purchase or exchange involving land worth more than fifty lakhs rupees or lease for more than five years."

Amendment of section 52 of Haryana Act 20 of 1971.

4. In section 52 of the principal Act,—

(a) in the marginal heading for the word "rent", the words "rent loan" shall be substituted;

(b) in sub-section (1),—

(i) after the words "any Board premises" the words "or arrears of instalments payable in respect of any loan advanced by the Board for construction reconstruction or repair of a house" shall be inserted;

(ii) after the words "fails to pay the arrears of rent" the words "or the arrears of instalment of loan" shall be inserted.

5. Omitted.

6. Omitted.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991